मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
द्वितीय ब्लाक पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 17516/22/वि–12/ग्रासविप्रा/2017 भोपाल, दिनांक 20/7/2017

–: परिपत्र :–

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में उत्कृष्ट कार्यो के लिये संविदाकारों एवं प्राधिकरण के यंत्रियों द्वारा किये गये अच्छे कार्यो हेतु विगत वर्षानुसार इस वर्ष भी 15 अगस्त 2017 को पुरस्कारों का वितरण किया जाना है जिस हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले संविदाकारों एवं यंत्रियों की जानकारी मुख्यालय प्राधिकरण को प्रेषित की जावे :–

(A) उत्कृष्ट कार्य के लिये ठेकेदारों को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक संभाग पर एक ठेकेदार एवं राज्य स्तर पर 3 ठेकेदार :–

(i) PMGSY कार्य के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में ही यह पुरस्कार दिया जायेगा।

(ii) यह पुरस्कार विगत 2 वर्षों में जारी किये गये कार्यादेश (दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के कार्यों) हेतु दिये जायेंगे। निम्नलिखित ठेकेदार इस पुरस्कार हेतु पात्रता रखेंगे।

(iii) ठेकेदार ने Stipulated समय में कार्य पूर्ण किया होना चाहिये।

(iv) पैकेज की पीएसी राशि रू. 3.00 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिये।

(v) पैकेज की किसी भी सड़क को एनक्यूएम/एसक्यूएम के द्वारा 'यू– श्रेणी में नहीं रखा गया हो।

(vi) पैकेज में मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षण टीप के अनुसार कोई गंभीर पैरा लंबित न हो।

(vii) पैकेज PMGSY के शेष कार्य का न हो।

(viii) संबंधित ठेकेदार प्राधिकरण की डिबार सूची में नहीं होना चाहिये।

(B) प्राधिकरण के यंत्रियों को पुरस्कृत करने हेतु :–

1. क्षेत्रीय स्तर पर :– (7 पुरस्कार)

(i) क्षेत्रीय स्तर पर 1 महाप्रबंधक, 1 सहायक प्रबंधक एवं 1 उपयंत्री को चयनित कर पुरस्कृत किया जावेगा।

2. **राज्य स्तर पर** :–

(i) राज्य स्तर पर 3 इकाईयों को निम्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जावेगा।

1. इकाई का Overall Performance.
2. इकाई द्वारा Inovative Technology के अंतर्गत किये गये कार्य।
3. इकाई द्वारा संधारण के कार्यों का क्रियान्वयन।

- **संभागीय स्तर के पुरस्कार** :–
  - इस हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाकर पुरस्कार प्रदान किया जावेगा :–
  - **निर्माण कार्य** :–

(i) जिन महाप्रबंधकों के द्वारा ओमास में दर्ज विवरण के अनुसार **वर्ष 2016–17** में संभाग में सबसे अच्छा कार्य किया जावेगा उसका आंकलन संलग्न प्रपत्र के अनुसार किया जावेगा। इसका निर्णय राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर लिया जावेगा।

(ii) इसी प्रकार सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों के कार्यों का आंकलन महाप्रबंधक के द्वारा प्रेषित विवरण के आधार पर संबंधित मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा किया जाकर विवरण राज्य स्तरीय समिति को भेजा जावेगा एवं राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रत्येक संभाग से 3 सहायक प्रबंधक एवं 3 उपयंत्रियों का चयन किया जावेगा।

(C) **राज्य स्तरीय पुरस्कार** :–

1. संलग्न प्रपत्र में किये गये आंकलन के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर इकाईयों द्वारा पूरे प्रदेश में तीनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया होगा उनके अंको के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार इकाईयों को दिया जावेगा। इसका निर्णय राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा। तीनों श्रेणियों में इकाई के प्रदर्शन का आंकलन OMMAS एवं E-marg में दर्ज जानकारी के आधार पर किया जावेगा। यह पुरस्कार वर्ष 2016–17 में किये गये कार्यों हेतु दिया जावेगा।

(D) **संभागीय स्तर के पुरस्कार** :–

- **महाप्रबंधकों के कार्य का आंकलन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जावेगा** :–

(i) दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धियां – 40 अंक

(ii) 1.4.16 की स्थिति में – 30 अंक

(iii) इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में दिये गये लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियां – 20 अंक

(iv) एनक्यूएम के द्वारा किये गये निरीक्षणों में **'यू'** श्रेणी दी जाती है तो उसमें प्रत्येक **'यू'** श्रेणी पर प्राप्त अंकों में से 3 अंक घटा दिये जावेगे। यदि दो से अधिक श्रेणी प्राप्त होने पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(v) अंतिम देयकों का निराकरण – 10 अंक

दिनांक 01/04/2006 की स्थिति में शेष अंतिम देयकों की संख्या तथा वर्ष 2016–17 में जारी किये गये पूर्णता प्रमाण पत्रों की संख्या को जोड़कर जितने अंतिम देयकों का निराकरण किया गया है उसके आधार पर अंकों का निर्धारण किया जायेगा।

संबंधितों के द्वारा जो आंकलन किया जावेगा उसमें भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की प्रगति एनक्यूएम के द्वारा दी गई **'यू'** श्रेणी के कार्यों की जानकारी तथा अंतिम देयकों का निराकरण की जानकारी दिनांक 31/03/2017 तक की स्थिति में OMMAS से ली जावेगी।

- <u>महाप्रबंधक के द्वारा ठेकेदारों के प्रकरणों को भेजने बावत निर्देश</u> :–

(i) महाप्रबंधक अपनी इकाई के ऐसे ठेकेदारों जिनकी एवं पैकेज की पीएसी की राशि रू. 3.00 करोड़ से अधिक एवं जिन्होंने समय सीमा में अच्छी गुणवत्ता का कार्य पूर्ण किया है। उसकी जानकारी संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15/07/2017 के पूर्व मुख्यालय में भेजेंगे। अच्छी गुणवत्ता के क्रम में प्रमुख अभियन्ता, मुख्य महाप्रबंधक, नेशनल क्वालिटी मानीटर (एनक्यूएम) के निरीक्षण टीप भी संलग्न की जावेगी।

(ii) प्रत्येक इकाई द्वारा (A) (i) से (vii) के मापदंडों के अनुसार इकाई में पूर्ण किए गए कार्यों से संबंधित ठेकेदार के विवरण प्रेषित किए जावेगे जिसका कार्य संपादन सर्वोत्तम रहा हो।

(iii) 'A' के बिन्दुओं के संबंध में कार्यादेश, सी.सी. की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करें।

(iv) जिस पैकेज की सड़कों हेतु ठेकेदार का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है उसकी सभी सड़कों के Geo-tag फोटोग्राफ भेजे जावे (Soft Copy)। इन फोटोग्राफ में प्रत्येक सड़क के 5–5 फोटोग्राफ होंगे। एक Photo प्रारम्भिक चैनेज एवं अंतिम चैनेज का अवश्य हो, शेष 3 Photograph अलग–अलग स्थानों के आवश्यक है।

(v) ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु यदि कोई विशेष पद्धति अपनायी हो तो उसका विवरण दिया जावेगा। **पैकेज के संबंध में विवरण संलग्न प्रपत्र में दिया जावेगा।**

- **महाप्रबंधक द्वारा स्वयं एवं इकाई के प्रकरणों के प्रेषण बावत निर्देश :–**

(i) जिन इकाईयों में दिनांक 01/04/2016 की स्थिति में 50 किमी का कार्य शेष रहा हो या वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस परिमाण के नवीन कार्य स्वीकृत हो गये हों उन्हीं इकाईयों के Performance का आंकलन किया जायेगा।

(ii) इकाई से प्रस्तावित महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक/उपयंत्री के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही/दंडावधि प्रचलन में न हो तथा इस अवधि में कोई दंड नहीं दिया गया हो।

(iii) जिन महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक/उपयंत्री के नाम प्रस्तावित किये जा रहे है वे वर्तमान में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में पदस्थ हो।

उपयुक्त संविदाकारों एवं यंत्रियों की जानकारी मय मापदण्ड के मुख्यालय को दिनांक 25/07/2017 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावे।

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

पृ.क्र. 17517/22/वि–12/ग्रासविप्रा/2017 भोपाल,दिनांक 20/7/2017

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश।
2. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
3. महाप्रबंधक (समस्त शाखा) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल।
4. महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई.......... मध्यप्रदेश।

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रपत्र

स. क्र.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश का दिनांक	कार्य पूर्णता का दिनांक	कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई समयावधि	PAC राशि	अनुबंधित राशि	कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का दिनांक एवं संदर्भ	NQM के निरीक्षण की दिनांक एवं पायी गई गुणवत्ता की श्रेणी	पैकेज की किस सड़क में सीटी का निरीक्षण हुआ है तो उसका विवरण एवं पायी गई कमियों का विवरण
									10
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
1									
2									

महाप्रबंधक सुनिश्चित करेंगे कि OMMAS में जो विवरण दर्ज किया गया है उसी के अनुरूप जानकारी होना चाहिये।